आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

स्टाम्प अपील वाद संख्या –209/2022
रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
09.02.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायलय, पटना में दायर cwjc no-12671/2021 के दिनांक 02.08.2022 को पारित आदेश के आलोक में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या 78/15–16 में दिनांक 16.05.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। जिस आदेश में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने अपीलकर्ता के जमुनिया मौजान्तर्गत थाना न० 465 खाता संख्या 82 खेसरा 760 में निस्पादित केवाला दिनांक 16.03.2015 में कमी मुद्रांक पाते हुए कमी मुद्रांक की राशि 43200 एवं उस पर जुर्माने की राशि 4320 अर्थात कुल 47520/– जमा करने का आदेश पारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 02.08.2022 में अंकित है कि – "Accordingly, the writ petition is disposed of with liberty to the petitioner to assail the order passed by the respondent no 4 before the concerned Commissioner within six weeks from today. In case such appeal is filled before the Commissioner within the stipulated period of six weeks, the Commissioner shall be required to heard and decide the appeal on merits in accordance with law expeditiously, and preferably within three months from the date of its filling." माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वाद को	

WEB COPY NOT OFFICIAL

अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग कर अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना। Bihar Stamp & Court Fees Manual की धारा 47 A(vi) के तहत अपीलकर्ता से Deficit amount का 50% जमा कराते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता ने पश्चिम चम्पारण जिले के जमुनिया मौजान्तर्गत खाता संख्या 82 खेसरा संख्या 760 के 3 कटठ्ा जमीन निबंधित केवाला संख्या 4351 दिनांक 16.03.2015 से अनुजा वर्णवाल उर्फ पिंकी से खरीदा। उक्त केवाला में जिला अवर निबंधक, बेतिया ने निबंधन के समय कोई आपत्ति नहीं किया। बाद में प्रश्नगत भूमि को अपीलकर्ता ने हरीन्द्र यादव और जोगिन्दर यादव पिता–स्व0 भरत यादव को दिनांक 12.03.2016 को बेच दिया उस समय भी जिला अवर निबंधक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। दिनांक 16.03.2015 को हुए केवाला को विफल करने के उद्देश्य से को मु० नगीना देवी, दिनेश कुमार एवं प्रमोद कुमार ने एक निबंधित केवाला सरिता देवी के पक्ष में दिनांक 21.03.2015 को गिफ्ट किया। जिसमें प्रश्नगत भूमि को अवर निबंधक, नरकटियागंज में सिंचित भूमि के आधार पर किया है। आगे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मार्च 2018 में अपीलकर्ता को नीलाम पत्र पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज से नोटिस मिला। जब अपीलकर्ता अनुमंडल पदधिकारी के यहां उपस्थित हुए तो उन्हें जानकारी हुई की सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या 78/15–16 के आलोक में एक शिकायतकर्ता ललन यादव के शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई है। अपीलकर्ता का दावा है कि सहायक निबंधन महानिरिक्षक, पटना के आदेश के आलोक में निबंधन कार्यालय, बेतिया ने अपीलकर्ता को बिना कोई सुचना दिये जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया। उनका (निबंधन कार्यालय, बेतिया) का प्रतिवेदन संदेहास्पद है क्योंकि उनके प्रतिवेदन में झोपड़ी किसकी है एवं किस उद्देश्य से वहां अवस्थित है उसका जिक्र नहीं किया गया है। इनका यह भी दावा है कि ललन यादव पिता–बाबूलाल यादव ने अवर निबंधक, बेतिया के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं किया है। दिनांक 16.05.2016 को सहायक निबंधन महानिरिक्षक ने अपीलकर्ता को बिना सूचना दिये अपना आदेश पारित किया है, जो गलत एवं विखंडित योग्य है।

वहीं विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने अपर निबंधक, बेतिया से

WEB COPY NOT OFFICIAL

प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अपना आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक शिकायतकर्ता ललन यादव , पिता–बाबू लाल यादव के शिकायत के आधार पर सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना ने सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को अपने पत्रांक 2985 दिनांक–27.06.2015 को जॉच कराने हेतु पत्र दिया। उक्त पत्र के आलोक में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने जिला अवर निबंधक, बेतिया से प्रश्नगत भूमि की जॉच करवायी। जॉच में जिला अवर निबंधक, बेतिया ने प्रतिवेदित किया कि ***उक्त भूखंड पीच रोड के किनारे अवस्थित है जिस पर एक झोपड़ी का मकान बना हुआ है, जिसके बगल में दुकान अवस्थित है, जिस कारण भूमि की श्रेणी व्यवसायिक है।*** उक्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने अपीलकर्ता को नोटिस करते हुए अपना आदेश पारित किया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक 1154 दिनांक–11.04.2016 एवं पत्रांक–201 दिनांक–12.08.2015 से अपीलकर्ता को नोटिस भेजा गया है। साथ ही निम्न न्यायालय के आदेश में यह भी अंकित है कि ''***प्रतिवादी को भेजा गया नोटिस वापस। पहला नोटिस हस्तगत हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जान बुझकर नोटिस वापस कर दिया गया है।***'' इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को उक्त वाद की जानकारी पूर्व से थी। इसलिए उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है कि उन्हे बिना किसी नोटिस के उनके विरुद्ध आदेश पारित कर दिया गया है। जहां तक अपीलकर्ता के इस दावे का प्रश्न है कि शिकायतकर्ता (ललन यादव) द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी, तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मामला राजस्व हित से संबंधित था एवं जिला अवर निबंधक, बेतिया के द्वारा किये जॉच में सत्य पाया गया, इसलिए उनके इस दावे का कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत नहीं की थी। जॉच में सही तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय उचित है। वैसे भी Bihar Stamp & Court Fees Manual की धारा 47 A(3) मे स्पष्ट उल्लेख है कि– ***"The Colllector suo moto within two years from the date of registration of such instruments not already referred to him under sub***

WEB COPY NOT OFFICIAL

section(1), call for and examine the instrument for the purpose of satisfying himself as to the correctness of the market value of the property which is the subject matter of such instrument and the duty payable thereon and if, after such examination, he has reason to believe that the market value of such property, has not been rightly set forth in the instrument." उक्त के आलोक में समाहर्त्ता को ***suo moto*** सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। बिहार गजट (असाधारण) 25 जून 1997 के S.O. 140, दिनांक 25 जून 1997 के द्वारा समाहर्त्ता की शक्ति सहायक निबंधक महानिरीक्षक में निहित है एवं अंकित है कि–

"In exercise of powers conferred by section 2, sub section 9(B) of the Indian Stamp Act, 1899(Act II 1899), The State Government confers the power of Collector to the Inspector of Registration officers exercisable subject to the general or special direction of the Secretary, Registration department for the districts of their respective Jurisdiction from the date of notification in official gazette."

उपर्युक्त के आलोक में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL